न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 104/2024

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी स्व0 भाणा उर्फ भानूराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. दारासिंह पुत्र भाणा उर्फ भानूराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. रवि पुत्र भाणा उर्फ भानूराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. जगमाल पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. जयसिंह पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. लिछमण पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. सावित्री पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 149/142 कि कुल 4.5540 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता व पति भाणा उर्फ भानूराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में लेखू के नाम दर्ज थी लेखू की फौतगदी के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई वाद भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के अलावा मृतक लेखू की पत्नी बादु उसके एक पुत्र लोबीलाल के नाम दर्ज हो गयी जिसमें लोबिलाल कवारा ही लावल्द फौत हो गया है तथा बादु भी फौत हो चुकी है जिसके कानूनन वारिसान दावा में दिगर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है। वादीगण के पिता भानूराम का दिनांक 20.02.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में भानुराम का नाम भाणा दर्ज है जबकि भाणा व भानीराम एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड में उक्त वाद भूमि वादीगण की सास व वादी सावित्री व चाचा मंगला नाम 1/16, [illegible] कि गलत दर्ज है क्योकि नत्थुराम के तीन वारिस है भाणा उर्फ [illegible] की पत्नी व वादीया की सास सावित्री जो नत्थुराम की 1/8 हिस्सा [illegible] हकदार है वाद भूमि [illegible] वादी संख्या 6 व 7 के नाम गलत दर्ज हुई है इसलिए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया [illegible] उक्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण को 1/24, प्रतिवादी स0 6 का 1/24 व प्रतिवादी संख्या 7 को 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादीगण की माता बादु पत्नी लेखु व इनका भाई लोबीलाल पुत्र लेखु कंवारा ही लाऔलाद फौत हो चुका है। इन दोनो मृतको के कानूनी वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा, वादीगण का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 6 व 7 प्रत्येक 1/18 हिस्सा, नत्थुराम के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में इनका हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र भाणा उर्फ भानूराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि पूर्व में लेखू के नाम दर्ज थी लेखू की फौतगदी के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई वाद भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के अलावा मृतक लेखू की पत्नी बादु उसके एक पुत्र लोबीलाल के नाम दर्ज हो गयी जिसमें लोबिलाल कवारा ही लावल्द फौत हो गया है तथा बादु भी फौत हो चुकी है जिसके कानूनन वारिसान दावा में दिगर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है। वादीगण के पिता भानूराम का दिनांक 20.02.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में भानुराम का नाम भाणा दर्ज है जबकि भाणा व [illegible] एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड में उक्त वाद भूमि वादीगण की सास व दादी [illegible] पुत्री व चाचा मंगला नाम 1/16, 1/16 हिस्सा दर्ज है जो कि गलत दर्ज है क्योकि नत्थु[illegible] के तीन वारिस है भाणा उर्फ भानूराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मंगलाराम व नत्थुराम की पत्नी व वादीया की सास सावित्री जो नत्थुराम की 1/8 हिस्सा भूमि की बहिब की हकदार है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम गलत दर्ज हुई है इसलिए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण को 1/24, प्रतिवादी स0 6 का 1/24 व प्रतिवादी संख्या 7 को 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 149/142 कि कुल 4.5540 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता व पति भाणा उर्फ भानूराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खताा संख्या 149/142 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बादू पत्नी लेखु एवं लोबिलाल पुत्र लेखु का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 104/2024

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी स्व0 भाणा उर्फ भानूराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. दारासिंह पुत्र भाणा उर्फ भानूराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. रवि पुत्र भाणा उर्फ भानूराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. जगमाल पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. जयसिंह पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. लिछमण पुत्र लेखू जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. मंगला पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. सावित्री पत्नी नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 104 सन 2024 निर्णय दिनांक – 16/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खताा संख्या 149/142 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि के वादीगण बहिब 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बादू पत्नी लेखु एवं लोबिलाल पुत्र लेखु का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर